न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2021/46

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. भगवानराम पुत्र हरजीराम 2. शियाराम पुत्र हरजीराम जातियान मेघवाल निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. बाबूराम पुत्र हरजीराम 2. सुगनाराम पुत्र भीखाराम जातियान मेघवाल निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।
3. अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित।
4. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

दिनॉकः– 29.11.21

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसमें बताया कि ग्राम आसोप चक द्वितीय की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 2806 रकबा 3.0190 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 2807/1 रकबा 3.4034 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है, सबूत में जमाबंदी संलग्न पेश है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 2806 व 2807/1 तक आने जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 4047/2802 व 2802/3 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे 16 फुट चौड़ा रास्ता नजरीये नक्शा के अनुसार सबूत में प्रस्तावित नजरीये नक्शा पेश है। संलग्न नजरीये नक्शे को प्रार्थनापत्र का अंग माना जावे। संलग्न नजरीये नक्शा में दर्शाये अनुसार वादग्रस्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नं. 4047/2802 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे जो रास्ता राजस्व रेकर्ड में 16 फुट चौड़ाई व खसरा नं. 2802/3 जो कि अप्रार्थीगण सामलाती रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है। उक्त खसरा में से 16 फुट चौड़ा रास्ता घोषित करवाना चाहते है। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाकर ट्रेश नक्शा में रास्ता की तरमीम करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 डी.एल.सी के अनुसार रूपये लेते है तो प्रार्थीगण इसके लिये सहमत है। अतः ग्राम आसोप चक द्वितीय में प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 2806 व 2807/7 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नं. 4047/2802 की पश्चिमी माठ व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खसरा नं. 2802/3 में से आने जाने हेतु 16 फुट चौड़ा रास्ता नजरीये नक्शा के अनुसार व राजस्व ट्रेश नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण [illegible] को समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री रामप्रकाश चौधरी अधि. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि [illegible] आसोप चक द्वितीय का खेत खसरा नं. 2802/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर जो कि रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:02:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

जाता है तथा उक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत् पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम आसोप के चक द्वितीय में आये अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नं. 2802/3 में पुरानी रहवासीय पक्की ढाणी बनी हुई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 2806 व 2807/1 में आने जाने हेतु वैकल्पिक रूप से खसरा नं. 2807 के चिपती हुई ग्रेवल सड़क निकलती है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि में आते जाते है। उपरोक्त मौका स्थिति रिपोर्ट प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से छिपाया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वास्तविक मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय हाजा द्वारा सक्षम अधिकारी से न्यायहित में मंगवाई जावे।

राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट आसोप में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी समझौता प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम आसोप चक द्वितीय में हम निम्न खसरों में आपसी समझौता के अनुसार सार्वजनिक रास्ता के लिए हमने राजीनामा किया है जिसके एवज में किसी प्रकार का रूपये/पैसा नही लिया। खसरा नं. 2807, 2807/1, 2806, 2806/1 इन खसरों में से 06 फुट जमीन रास्तों में देंगे। दूसरी तरफ 2802/2, 2802/3, 4047/2802 इन खसरों में से 06 फुट रास्ता देने हेतु समझौता हुआ है। खसरा नं. 2806 में से भगवानराम अपने खेत की पूर्वी माठ के सहारे (2803 के खेत के नीचे) 10 फुट चौडा रास्ता देंगे।

भू अभिलेख निरीक्षक आसोप, पटवारी आसोप द्वारा पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने तथा ग्राम आसोप चक द्वितीय के नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता दर्शाये अनुसार खसरा नं. 2802/3, 4047/2802, 2807, 2807/1 व 2806 रास्ता घोषित किया जाने हेतु सहमति प्रदान करने के उपरान्त मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी। राजीनामा अनुसार खसरा नं. 2802/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं. 4047/2802 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2807 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2807/1 रकबा 0.0194 हैक्टेयर व खसरा नं. 2806 रकबा 0.0243 हैक्टेयर रास्ते के रूप में काम आयेगी। खसरा नं. 2806 में पूर्वी मेढ़ के सहारे रास्ते की चौड़ाई 10 फीट रहेगी व दोनों तरफ के खसरों में 06-06 फीट (कुल-12 फीट) रहेगी। मौका फर्द पक्षकारों के रूबरू तैयार की गयी। हस्तगत प्रकरण में मौका फर्द निर्णय का अंग माना जायेगा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया एवं भू अभिलेख निरीक्षक आसोप की मौका रिपोर्ट एवं उभय पक्ष द्वारा समझौता प्रार्थनापत्र पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षकारान के राजीनामा अनुसार एवं भू अभिलेख निरीक्षक आसोप की मौका फर्द अनुसार ग्राम आसोप चक द्वितीय के खसरा नं. 2802/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं. 4047/2802 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2807 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2807/1 रकबा 0.0194 हैक्टेयर व खसरा नं. 2806 रकबा 0.0243 हैक्टेयर रास्ते के रूप में घोषित किया जाता है जिसमें खसरा नं. 2806 में पूर्वी मेढ़ के सहारे रास्ते की चौड़ाई 10 [illegible] व दोनों तरफ के खसरों में 06-06 फीट (कुल-12 फीट) रहेगी। तहसीलदार [illegible] जाता है कि रास्ते की भूमि में उपयोग आने वाली भूमि का नाप चौप[illegible] रिकॉर्ड में [illegible]क कटानी रास्ता का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपिमय [illegible] नक्शा मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:02:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (जोधपुर)

तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

29.11.21
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29.11.21 को मज में आम में सुनाया गया।

29.11.21
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:02:21 IST
Reason: SelfAttested